क्रम-संख्या--780

रजिस्टर्ड नं० एल० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर, 1986

मार्ग शीर्ष 13, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2005/सत्रह-वि-1--1 (क)--11-1986

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 28 नवम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय अध्याय चार जो 20 अगस्त, 1982 को प्रवृत्त हुआ माना जायगा ।

अध्याय—दो

यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 33—क का संशोधन

2—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 33—क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के उपबन्ध—

(एक) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार स्वीकार किया गया है या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकारवाला भूमिधर, या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है,

(दो) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किये गये भूमि के प्रत्येक बन्दोबस्त के,

सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122—ख में, उपधारा (4—च) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4—च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1985 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, और यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकारवाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है ।"

धारा 122—ग का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 122—ग में,—

(एक) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 333" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 333 और धारा 333—क" रख दिये जायेंगे,

(दो) उपधारा (8) निकाल दी जायगी ।

धारा 122—घ का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 122—ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

प्रदेशन गृहीताओं को कब्जा दिया जाना

"122—घ—(1) जहां धारा 122—ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भूमि गृह-निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय और प्रदेशनगृहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन हो, वहां असिस्टेन्ट कलक्टर, प्रदेशनगृहीता के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग, जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि--

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके है, और

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए, अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।"

धारा 123 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 123 में,--

(1) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "24 मई, 1971" के स्थान पर, शब्द और अंक "30 जून, 1985" रख दिये जायेंगे,

(2) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण में शब्द और अंक "15 मार्च, 1974" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1985" रख दिये जायेंगे ।

धारा 129 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 129 में, खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :--

"(4) सरकारी पट्टेदार ।"

धारा 131 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 131 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(घ) 1 जुलाई, 1981 से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 26-क या धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जाय या किया गया है ।"

धारा 142 का प्रतिस्थापन

9--मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"142--(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और उसका किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा ।

भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और

ऐसी भूमि का कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन, वृक्षवृद्ध पालन और सामाजिक वानिकी भी है, से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा ।"

धारा 143 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 143 में,—

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे,

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 198 में उपधारा (6) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198-क का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 198-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात् :—

"198-क (1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 195 के अधीन किसी भूमि के असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 197 के अधीन किसी भूमि के असामी के रूप में स्वीकार किया जाय (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में प्रदेशनग्रहीता कहा गया है) या जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उठाई जाय (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में पट्टेदार कहा गया है) और प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, वहां असिस्टेन्ट कलक्टर, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

गांव सभा के प्रदेशनग्रहीताओं या सरकारी पट्टेदार को कब्जा दिया जाना

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनःअध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके है, और

(ख) यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है,

वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन अपराध पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982 की धारा 28 का संशोधन

13--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात:--

"28--सन्देहों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-दो, तीन, चार, पांच, छ: और सात में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित ऐसी अधिनियमितियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

वैधीकरण

अनुसूची का बढ़ाया जाना

14--मूल अधिनियम में, धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी अर्थात् :--

अनुसूची

(धारा 28 देखिये)

1--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1981),

2--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1981),

3--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1982),

4--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1982)

अध्याय पांच

जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1956 की धारा 31 का संशोधन

15--जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(घ) सरकारी पट्टेदार"

धारा 36 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 36 में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय छः

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1960 की धारा 42 का संशोधन

17--कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 42 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"(घ) सरकारी पट्टेदार"

धारा 47 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे।

अध्याय सात

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 4-क का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4-क की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात् ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगी।"

अध्याय आठ

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 27 का संशोधन

20—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में; उपधारा (6) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द और अंक "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी पश्चात्-वर्ती हो", रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 2005(2)/XVII-V-1—1 (KA)-11-1986

Dated Lucknow, December 4, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhumi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 28, 1986:

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act no. 24 of 1986)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the U. P. Land Revenue Act, 1901, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982, the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Kumaon and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1958 and the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall come into force at once except Chapter IV, which shall be deemed to have come into force on August 20, 1982.

CHAPTER-II

Amendment of the U. P. Land Revenue Act, 1901

Amendment of section 33-A of U. P Act no. 3 of ..

2. In section 33-A of the U.P. Land Revenue Act, 1901, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely :

"(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply—

(i) to a person, who has been admitted as a *sirdar* of any land under section 195 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977, or as a *bhumidhar* with non-transferable rights under the said section after such commencement, or as an *asami* of any land under section 197 of the first mentioned Act,

(ii) to every settlement of land made under sub-section (3) of section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960."

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of section 122-B of U. P. Act 1 of 1951

3. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for sub-section (4-F), the following sub-section shall be *substituted*, namely :

"(4-F) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, where any agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe is in occupation of any land vested in a Gaon Sabha under section 117 (not being land mentioned in section 132) having occupied it from before June 30, 1985 and the land so occupied together with land, if any, held by him from before the said date as *bhumidhar, sirdar* or *asami*, does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres), then no action under this section shall be taken by the Land Management Committee or the Collector against such labourer, and it shall be deemed that he has been admitted as bhumidhar with non-transferable rights of that land under section 195."

Amendment section 122-C

4. In section 122-C of the principal Act--

(i) in sub-section (7), *for* the word and figure "section 333", the words and figures "section 333 and section 333-A", shall be *substituted* ;

(ii) sub-section (8) shall be *omitted.*

Insertion of section 122-D

5. *After* section 122-C of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :

"122-D. (1) where any land, referred to in sub-section (2) of section 122-C, is allotted to any person for the purposes of building of house and any person other than the allottee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Assistant Collector may, of his own motion, and shall, on the application of the allottee, put the allottee in possession of such land may, for that purpose, use or cause to be used such force, as he considers necessary.

Restoration of possession to allottees

(2) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees :

Provided that the court convicting the accused may, while passing the sentence, direct that the whole or such portion of the fine, that may be recovered, as the court considers proper, be paid to the allottee as damages for use and occupation.

(3) Where in any proceeding under sub-section (2), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise that—

(*a*) the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of this Act, and

(*b*) the allottee is entitled to the possession of such land,

the court may, summarily, evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee in possession of such land.

(4) Where in any proceeding under sub-section (2), the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the court.

(5) Where, in any proceeding under sub-section (2), the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section (2) may be tried summarily.

(7) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the State Government, may in consultation with the High Court, by notification, constitute special courts consisting of an officer not below the rank of sub-divisional magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise, in relation to such offence, the powers of a Judicial Magistrate of the First Class.

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable."

Amendment of section 123

6. In section 123 of the principal Act—

(1) In sub-section (1), *for* the words and figures "24th day of May, 1971" the words and figures "30th day of June, 1985" shall be *substituted.*

(2) in sub-section (2) and explanation thereto, for the words and figures "fifteenth day of March, 1974" the words and figures "30th day of June, 1985" shall be *substituted.*

Amendment of section 129

7. In section 129 of the principal Act, *after* clause (3), the following cause shall be *inserted,* namely :

"(4) Government lessee"

Amendment of section 131

8. In section 131 of the principal Act, *after* clause (*c*), the following clause shall be *inserted* namely :

"(*d*) with effect from July 1, 1981 every person with whom surplus land is or has been settled under section 26-A or sub-section (3) of section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960."

Substitution of section 142

9. *For* section 142 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :

'142. (1) A *bhumidhar* with transferable rights shall, subject to the provisions of this Act, have the right to exclusive possession of all land of which he is a *bhumidhar* and to use it for any purpose whatsoever.

Right of a *Bhumidhar* to the exclusive possession of all land in his holding

(2) A bhumidhar with non-transferable rights shall, subject to the provisions of this Act, have the right to exclusive possession of all land of which he is such *bhumidhar* and to use such land for any purpose connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture, poultry farming and social forestry".

Amendment of section 143

10. In section 143 of the principal Act—

(i) in sub-scetion (1), *for* the word "bhumidhar" the words "*bhumidhar* with transferable rights" shall be *substituted;*

(ii) in sub-section (2), for the word "*bhumidhar*" the words "*bhumidhar* with transferable rights" shall be *substituted.*

Amendment of section 198

11. In section 198 of the principal Act, in sub-section (6),—

(i) in clause (*a*), *for* the words "two years", the words "seven years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted;*

(ii) in clause (*b*), *for* the words "five years from the date of such allotment or lease", the words "five years from the date of such allotment or lease or upto November 10, 1987, whichever be later" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted.*

Substitution of section 198-A

12. *For* section 198-A of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely.

Restoration of possession to the allottees of Gaon Sabha or the Government lessee

"198-A. (1) Where any person is admitted as a *bhumidhar* with non-transferable rights of any land, under section 195, or as an *asami* of any land, under section 197, (such person hereinafter referred to in this section as the allottee) or where any land is let out to any person by the State Government (such person hereinafter referred to in this section as the lessee) and any person other than the allottee or lessee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Assistant Collector may of his own motion and shall on the application of the allottee or lessee, as the case may be, put him in possession of such land and may, for that purpose, use or cause to be used such force as he considers necessary;

(2) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees;

Provided that the court convicting the accused may, while passing the sentence, direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper be paid to the allottee or lessee, as the case may be, as damages for use and occupation.

(3) Where in any proceeding under sub-section (2), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise that—

(*a*) the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of this Act, and

(*b*) the allottee or lessee, as the case may be, is entitled to the possession of such land,

the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee or lessee, as the case may be, in possession of such land.

(4) Where in any proceeding under sub-section (2), the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the court.

(5) Where in any proceeding under sub-section (2), the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, offence under sub-section (2) may be tried summarily-

(7) For the purpose of speedy trial of offence under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute special courts consisting of an officer not below the rank of sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the First Class.

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable."

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982

Amendment of section 28 of U.P. Act no. 20 of 1982

13. In the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act. *for* section 28, the following section shall be *substituted*, namely :—

Validation

"28. For the removal of doubts, it is hereby declared that anything done or any action taken under the enactments referred to in chapters II, III, IV, V, VI and VII, as amended by any of the Ordinances specified in the Schedule shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of such enactments as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times."

Insertion of Schedule

14. In the principal Act, *after* section 28, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

SCHEDULE

"(*See* SECTION 28)

1. The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1981 (U. P. Ordinance no. 3 of 1981) .

2. The Uttar Pradesh Land Laws (Second Amendment) Ordinance, 1981 (U. P. Ordinance no. 3 of 1981) .

3. The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1982 (U. P. Ordinance no. 8 of 1982.

4. The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) (Second) Ordinance, 1982 (U. P. Ordinance no. 15 of 1982)."

CHAPTER V

Amendment of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956

Amendment of section 31 of U.P. Act no. XI of 1956

15. In section 31 of the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* clause (*c*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*d*) Government lessee."

Amendment of section 36

16. In section 36 of the principal Act, *for* the words and figures "sections 134 to 139," the words and figures "sections 133-A, 137, 137-A" shall be *substituted*.

CHAPTER VI

Amendment of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960

Amendment of scetion 42 of U.P. Act no. XVII of 1960

17. In section 42 of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* clause (c), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*d*) Government lessee."

Amendment of section 47

18. In section 47 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "sections 134 to 139", the words and figures" Sections 133-A, 137, 137-A," shall be *substituted*.

CHAPTER VII

Amendment of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

Amendment of section 4-A of U. P. Act No. 5 of 1954

19. For the proviso to sub-section (1) of section 4-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that no such declaration shall be issued within twenty years from the date of the notification referred to in the said section, but in special circumstances the State Government may, in public interest, issue such declaration after ten years from the said date."

CHAPTER VIII

Amendment of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

Amendment of section 27 of U. P. Act no. 1 of 1961

20. In section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, in sub-section (6),—

(i) in clause (*a*), *for* the words "two years", the words "seven years" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*;

(ii) in clause (*b*), *for* the words "five years from the date of such settlement or lease", the words "five years from the date of such settlement or lease or upto November 10, 1987, whichever be later" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 111 सा० (विधा०)—(2145)—1986—850 (मेक०)।